CANCELLED CANCELLED

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियार,

119

अपील प्रकरण कमांक- /2019

अपील-0334/2019/जबलपुर/भू०रा०

20

अपीलार्थीगणः-

1. देवेन्द्र कुमार विश्वकर्मा
2. प्रवीण कुमार विश्वकर्मा दोनों के पिता स्व0 भगवानदास विश्वकर्मा सभी निवासी- बरछैया, पनागर, जिला जबलपुर

श्री विनोद द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर (राजस्व मंडल)
31 JAN 2019

विरुद्ध

उत्तरवादीगणः-

1. दिलीप कुमार पिता श्री संतोष कुमार निवासी म.नं. 4485/2 कांचघर चौक जबलपुर,
2. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय, जबलपुर,

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र.भू. रा. संहिता 1959

अपीलार्थीगण न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 68अ-2017/18 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2018 एवं पुनर्विलोकन याचिका कमांक-68/अ-2017-18 में पारित आदेश दिनांक 14/12/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थीगण के पिता स्व. भगवान दास विश्वकर्मा ने अपने जीवन काल में मौजा खैरी, नं.ब. 570, प.ह.नं. 17/20 नया 61 तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 216/1 में रकबा 1950 वर्गफुट प्लाट नंबर 62 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19 जुलाई 1999 के माध्यम से कय किया था जिसे विकेता दिलीप कुमार साहा ने रजिस्टर्ड हस्तान्तरण पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक — 0334 / 2019 / अपील / जबलपुर / भू.रा.

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव आदि के ह
12-04-19	अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्र0क0 68 / 2017—17 पुनरावलोकन में पारित आदेश दि014—12—18 के विरूद्व यह अपील म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपील की गााह्यता पर अपीलांट के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ अपीलांट के अभिभाषक व्दारा अपील की प्रचलनशीलता पर दिये गये तर्को के कम में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 14—12—18 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा उनके प्रकरण कमांक 68 / 17—18 अपील में पारित अंतिम आदेश दिनांक 28—9—18 को पुनरावलोकन में लेकर सुने जाने हेतु अपीलांट की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर से अपर आयुक्त ने सुनवाई कर आदेश दिनांक 28—9—18 में हस्तक्षेप न करते हुये को यथावत् रखते हुये पुनरावलोकन आवेदन खारिज किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में व्यवस्था दी गई है कि यदि पुनरावलोकन कां आवेदन खारिज कर दिया जाए तब धारा 46 के खंड (ख) के अनुसार कोई अपील नहीं हो सकेगी, जबकि अपीलांट की ओर से अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्र0क0 68 / 2017—17 पुनरावलोकन में पारित आदेश दि014—12—18 के विरूद्व यह अपील म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन—योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	